

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

सं0..... डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर - 1823/रा०, दिनांक - 16-07-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-देवधा, परगना-हमिन्दपुर, थाना-रोसड़ा, थाना नं0-82, जिला-समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् हायाघाट कराचीन के 42वें कि० मी० से 75वें कि० मी० तक समस्तीपुर जिला अन्तर्गत बाँध ऊँचीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम देवधा के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम दो वेश 8.90 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं० अंश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 57, 58, 69, 70, 71, 72, 85, 86, 87/4707, 90, 91, 92, 93, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 141, 142, 143, 229, 230, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 270, 272, 274, 277, 279, 284, 283, 286, 287, 288, 290, 291, 294, 295, 297, 298, 305, 304, 613, 306, 307, 308, 310, 309, 315, 316, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 358, 359, 360, 361, 364, 365, 366, 370, 371, 376, 377, 382, 383, 384 एवं पूर्ण खेसरा सं० 14, 143/4661, 273, 278, 285 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- अंश खेसरा सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 57, 58, 69, 70, 71, 72, 85, 86, 4707, 90, 91, 92, 93, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 141, 142, 143, 229, 230 को सीमा रेखा ग्राम बसतपुर गोड़िआरी।

पूरब:- सीमा रेखा ग्राम फूलहारा उर्फ गोरियारी है।

दक्षिण:- अंश खेसरा सं० 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 270, 613, 274, 277, 279, 284, 283, 286, 287, 288, 290, 291, 294, 295, 297, 298, 305, 306, 304, 307, 308, 310, 309, 315, 316, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 359, 360, 361, 364, 365, 366, 370, 371, 376, 373, 382, 383 एवं 384

पश्चिम :- सीमा रेखा ग्राम फूलहाड़ा तटबंध।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जाएंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
समस्तीपुर।

अपर समाहता,
समस्तीपुर।


समाहता
समस्तीपुर।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक/डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना - 1823/रग
दिनांक - 16-07-13

- प्रतिलिपि:- (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।
- (2) समाहर्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अलगे असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।
- (4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/रोसड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु:- यथोक्त।


सरकार के अवर सचिव